ट

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 112/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बलवन्तराम पुत्र श्री माईदान जाति मेधवाल निवासी वार्ड नं0 7 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रत्यार्थी

आदेश   दिनांकः–14.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया से मांगी गई थी। प्रार्थी को सूचना नही मिलने पर उसके द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा पत्र दिनांक 01.11.2017 से अपीलार्थी को सूचना भिजवाते हुए उक्त पत्र की प्रतिलिपि पत्र कमांक 985 दिनांक 01.11.2017 प्राप्त हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्र कमांक 985 दिनांक 01.11.2017 का अवलोकन करने से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2017 के संबंध में उक्त पत्र से सूचना भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official